उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P.POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–686–अ0प्र0–07 / पाकालि / 20–22–अ0प्र0–07 / 15 दिनांक 13 / 03 / 2020

नोटिस

विषयः– श्री अजातशत्रु पुत्र श्री राम सहाय (वरि0क्र0–8081) (अभि0सं0–201223732008368), सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता निर्धारण किये जाने के विरूद्ध प्रत्यावेदन।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 की धारा 3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम–2007 में निर्दिष्ट नियम–8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0–2608 / 2011 एवं समविषयक सहबद्ध अन्य अपील्स में दिनांक 27.04.2012 को पारित निर्णय में Ultra Vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप श्री अमित कुमार धर्मा (वरि0क्र0–8151) (अनु0जा0) को अधिशासी अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदावनत किया गया था। इस पदवनति के विरूद्ध श्री अमित कुमार धर्मा द्वारा मा0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ में प्रत्यावेदन दिया गया जिसमें श्री धर्मा ने श्री अजातशत्रु (वरि0क्र0–8081) का पुर्नचयन / पदावनति न किये जाने का उदाहरण देते हुए उनका भी पुर्नचयन / पदावनति न किये जाने का अनुरोध किया गया था।

श्री धर्मा के प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु मा0 आयोग के आदेशानुसार कारपोरेशन स्तर पर द्विसदस्यीय समिति गठित की गयी। समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार श्री अमित कुमार धर्मा के पदावनत एवं पुर्नस्थापना की कार्यवाही सही पायी गयी। समिति ने श्री अजातशत्रु की पुर्नस्थापना में श्री सुरेन्द्र यादव (वरिष्ठता क्रमांक–7547), अवर अभियन्ता को आसन्न वरिष्ठ मानते हुए स्थापित किया जाना त्रुटिपूर्ण पाते हुए, इस त्रुटि को ठीक किये जाने की संस्तुति की।

उक्त के दृष्टिगत दिनांक 30.07.2019 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विभागीय चयन समिति द्वारा श्री अजातशत्रु (वरि0क्र0–8081) (प्रो0–8.33%) (सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता) को सहायक अभियन्ता के पद पर उनसे आसन्न वरिष्ठ श्री विरेन्द्र कुमार सिंह (वरि0क्र0–8079) (प्रो0–8.33%) के सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की तिथि 11.05.2012 से पुनर्चयन करते हुए श्री अजातशत्रु को भूतलक्षीय प्रभाव से अधिशासी अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदावनत किये जाने की संस्तुति की गयी। तद्नुसार श्री अजातशत्रु (वरि0क्र0–8081) को अधिशासी अभियन्ता पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदावनत कर सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 11.05.2012 से पुनर्चयनित करने का कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–45–अ0प्र0(2ब) / पाकालि / 2019–2–विविध / 2ब / 2015, दिनांक 08.08.2019 निर्गत किया गया। तद्क्रम में कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–139–अ0प्र0–07 / पाकालि / 20–22–अ0प्र0–07 / 15, दिनांक 16.01.2020 द्वारा नव अभिज्ञान सं0–20123732008068 आवंटित की गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत चयन वर्ष 2011–12 की कार्यालय ज्ञाप सं0–4274–अ0प्र0–07/पाकालि/17–25–अ0प्र0–07/09, दिनांक 28.09.2017 द्वारा घोषित सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में श्री अजातशत्रु (वरि0क्र0–8081) (प्रो0–8.33%) की वरिष्ठता क्र0सं0–494 पर अंकित श्री जय प्रकाश सिंह कुशवाहा (वरि0क्र0–8080) (प्रो0–40%) के ठीक नीचे एवं क्र0सं0–495 पर अंकित श्री अकील अहमद (वरि0क्र0–8083) (प्रो0–8.33%) के ठीक ऊपर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त वरिष्ठता निर्धारण/संशोधन से प्रभावित होने वाले किसी अभियन्ता को यदि कोई आपत्ति है तो इस नोटिस के निर्गमन की तिथि से वह अपनी आपत्ति 07 दिनों की समयावधि में समुचित आधार का उल्लेख करते हुए कारपोरेशन को ई0मेल (uppcljs02@gmail.com) के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से कक्ष सं0–613, शक्ति भवन मुख्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त हुए किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव(07)